प्रेस नोट दिनांक 27.01.2025

थाना चकिया जनपद चन्दौली

◆थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा तस्करी कर रहे 03 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

◆39.350 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद (अनुमानित कीमत 10 लाख)

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण व मादक पदार्थो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 26.01.2025 को गरला तिराहे के पास से 1. कन्हैया यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी ग्राम कल्यानीपुर भैंसहट थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार 2. सतीश कुमार पुत्र भरत यादव निवासी ग्राम टोढ़ी थाना भगवानपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार 3. जयप्रकाश यादव पुत्र अरविन्द यादव निवासी ग्राम कलौरा थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार के कब्जें से 39.350 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद कर अभियक्तों को किया गया गिरफ्तार । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 019/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 26.01.2025 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिग व वांछित अभियुक्तो की तलाश व जुर्म जरायम की रोकथाम हेतु गरला तिराहे पर मौजूद रहकर संदिग्ध वाहनो की चेकिंग कर रहे थे कि चेकिंग के दौरान ही एक वाहन भभौरा नाका की तरफ से गरला तिराहे की तरफ आता दिखाई पड़ा जिसे टार्च की रोशनी देकर रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक ने वाहन की गति धीमी कर वापस घुमाकर भागना चाहा जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर रोक लिया गया उक्त आटो वाहन के दोनो तरफ कपड़े का पर्दा लगा हुआ है पर्दा हटाकर देखा गया तो उक्त वाहन में चालक के अलावा पीछे की सीट पर दो अन्य व्यक्ति बैठे है दोनो सीट के बीच मे दो बोरे रखे हुए है वाहन के आगे पीछे नंबर प्लेट पर BR 45P 6906 अंकित है वाहन चालक व पीछे बैठे अन्य दोनो व्यक्तियो की पहचान 1. चालक कन्हैया यादव पुत्र महेन्द यादव नि० ग्राम कल्यानीपुर भैसहट थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र 21 वर्ष 2. सतीश कुमार पुत्र भरत यादव नि० ग्राम टोढ़ी थाना भगवानपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 22 वर्ष 3. जयप्रकाश यादव पुत्र अरबिन्द यादव नि० ग्राम कलौरा थाना चांद जनपद भभुआ कैमूर बिहार उम्र 19 वर्ष के रुप में हुई। उक्त वाहन पर बैठे तीनो व्यक्तियो द्वारा वाहन मे रखे दोनो बोरी मे गांजा का बंडल होना बताया गया। दोनो बोरियो मे रखे गये बंडलो का कुल वजन एक साथ किया गया तो कुल 39.350 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बराबर बराबर पैसा लगाकर कल्यानीपुर करकटगढ़ बिहार से खरीदकर इसी आटो मे रखकर छिपाकर बिहार से चकिया, मुगलसराय होते हुए बनारस बेचने के लिए ले जा रहे थे जहा हम लोग ऊंचे दामो पर व्यापरियो को बेच देते हैं और जो फायदा होता है उसको हम लोग आपस मे बराबर बराबर बाट लेते है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण -

1. कन्हैया यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी ग्राम कल्यानीपुर भैंसहट थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र 21 वर्ष।

2. सतीश कुमार पुत्र भरत यादव निवासी ग्राम टोढ़ी थाना भगवानपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र 22 वर्ष।

3. जयप्रकाश यादव पुत्र अरविन्द यादव निवासी ग्राम कलौरा थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु.अ.सं. 019/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण -

1. 39.350 कि0ग्रा0 अवैध गांजा
2. एक आटो नं BR45P6906
3. एक एन्ड्राएड मोबाइल फोन लावा कम्पनी

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी रामपुर भभौरा थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. उ0नि0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना चकिया जनपद चन्दौली।
4. हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना चकिया जनपद चन्दौली।
5. हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।
6. का0 राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।